

8-1-18


पंचवली प्रस्तुत वकील अधीकार/रिपोर्ट उपस्थित  
पंचवली अधिकारी महोदय को भेजा गया  
पर है। अतः पंचवली पूर्व प्रस्तावित दिनांक 8-3-18  
वैध प्रमाण है।

8-3-18

अभिभावक संघ में आज  
उपस्थित रखा। पंचवली पूर्व  
दिनांक 25-18 को भेजा जा रहा है।

9-5-18

बार-बार कावाज दिलाई गई।  
कंपीलेंट एवं कंपीलेंट के वकील  
कोई हाजिर नहीं आया। अतः  
अदालत हाजिरी एवं अदालत  
दिवसी काकाकेत होने से अदालत  
रवायत की जाती है। पंचवली  
आदि भारतीय तत्कालीन दारिद्र्य  
दफ्तर है।

निर्णय सुनाया गया  


दिनांक - 14/01/2005

Web Copy - Not Official